**प्रारूप – 2**

**राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 कण्डिका 6 देखिये**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम तथा पूर्ण पता। |  |
| 2 | विपत्तिग्रस्त व्यक्ति कृषक है अथवा गैर कृषक? यदि कृषक है तो कृषि भूमि का पूर्ण ब्यौरा। |  |
| 3 | 1. हानि का पूर्ण विवरण –01 फसल हानि02 पशु पक्षी (मुर्गी / मुर्गा) हानि03 मकान की क्षति – क्षतिग्रस्त मकान का पूर्ण विवरण- आकार, योजन एवं क्षति का विवरण।04 कपड़ा / बर्तन / खाद्यान्न की हानि05 जनहानि (मृतक से आवेदक का संबंध)06 शारीरिक अंग हानिअन्य हानि – जिसके लिए रा.पु.प. परिपत्र 6-4 में सहायता देय है।
 |  |
| 4 | क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति निराश्रित है और क्या उसका कोई ऐसा संबंधी या मित्र नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। |  |
| 5 | पूर्ण औचित्य बतलाते हुए वित्तीय सहायता जो तत्काल दी जानी चाहिए उसका ब्यौरेबार विवरण। |  |
| 6 | क्या स्थानीय दान के जरिये सहायता की व्यवस्था संभव नहीं है? |  |
| 7 | क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति ऋण चाहता है और क्या वह कोई शोधनीय क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार है? |  |
| 8 | कितना ऋण माँगा है? ऋण दिए जाने का पूर्ण औचित्य बताया जाना चाहिए। |  |
| 9 | अन्य विवरण। |  |

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर आवेदक

नाम: ........................
पता: ........................